बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 12.12.11

संख्या –21/ एस0 एस0 सी0–06/2011 13483/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 12 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–(1) यह नियमावली बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 2 (ग) का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 का नियम 2 (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

" 2 (ग) " आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और इसमें आयोग के अध्यक्ष एवं आयोग के चार सदस्य शामिल हैं :

परन्तु, किसी सदस्य या अधिक सदस्यों की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की स्थिति मे अध्यक्ष एवं शेष सदस्यों को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा।"

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 3 (1) का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 का नियम 3 (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

" 3. ' आयोग के अधिकार एवं कार्य :– (1) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार आयोग रू0 4800/– ग्रेड पे (या समय समय पर यथा पुनरीक्षित समान ग्रेड पे) से कम ग्रेड पे वाले अनुसूची–1 मे यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार के सचिवालय के विभिन्न विभागों, संलग्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।"

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 7 का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 का नियम 7 निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जायेगा, यथा :–

" 7. आयोग के सदस्यों के कृत्य एवं दायित्व :– आयोग के अध्यक्ष आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का उत्तर दायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किसी एक को प्रशासनिक शाखा का उत्तर दायित्व सौंप सकेंगे। "

5. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 9 (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 के नियम 9 (1) एवं (2) क्रमशः निम्नलिखि द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :–

" 9 (1) वित्तीय शक्तियाँ :– (1) बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी एवं एक लाख रूपये से अधिक के कम्प्यूटर क्रय को छोड़कर कार्यालय प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी।

परन्तु, परीक्षा के संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए, अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम 110 (2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।

(2) बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम–300 में अभिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, परीक्षा संचालन के लिए कोषागार से 1,00,000 (एक लाख) रू0 से अधिक धन की अग्रिम तथा निकासी को मंजूरी देने की शक्ति आयोग को होगी। एक लाख रूपये तक यह शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी। क्रय से संबंधित मामलों में अग्रिम धन की निकासी तभी की जायेगी जब अनुमोदित निविदा में ऐसी शर्त्त हो।"

6. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 10 का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

" 10. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया वही होगी जो समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू हो। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में, प्रशासनिक शाखा का उत्तरदायित्व वहन करने वाला आयोग का सदस्य ही अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यो का प्रभार ग्रहण करेगा।"

7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 की अनुसूची–1 के 'नोट' का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2003 की अनुसूची–1 का नोट निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

नोट– " सचिवालय एवं मुफस्सिल स्तर के वर्ग–3 के रूपये 4800/–ग्रेड–पे से नीचे के ग्रेड–पे वाले अन्य सभी पद इस अनुसूची में सम्मिलित समझे जायेंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 9.12.11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–21/ एस0 एस0 सी0–06/2011 13483 / दिनांक 12.12.11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करे।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

(हस्ताक्षर) 9.12.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–21/ एस0 एस0 सी0–06/2011................/ दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़ें वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पटना /सचिव राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–21/ एस0 एस0 सी0–06/2011 13483/ दिनांक 12.12.11

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 12,14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

72

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

—:: अधिसूचना ::—

पटना—15, दिनांक—19.12.11

सं0 21/एस0एस0सी0—06/2011..13774...सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या.13473 दिनांक.12 दिसंबर 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.12.11

नवीन चन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar
General Administration Department

-:: Notification ::-

Patna- 15, dated- 12.12.11

No:- 21/S.S.C-06/2011.13473/In exercise of the Powers conferred under section 12 (1) of Bihar Staff Selection Commission Act, 2002, The Governor of Bihar is pleased to make the following Amendment Rules to the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003 :-

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called "The Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Rules, 2011.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar
   (3) It shall come into force from the date of issuance of the Notification.
2. Substitution of Rule 2 (c) of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003- Rule 2 (c) of the said Rules, 2003 shall be substituted, by the following, namely:-

   "2 (c) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission and it includes the Chairman and four members of Commission.

si5

Provided that in the case of absence of one or more members on leave or otherwise, the commission shall be deemed to be constituted comprising of the Chairman and rest of members."

3. Substitution of Rule 3(1) of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003- Rule 3(1) of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following, namely:-

   "3(c) Functions and Powers of the Commission- (1) The Commission may recommend for appointment in or to all General/Technical/Non technical services/cadres/posts of grade pay of the grade pay below Rs 4800/- (or equivalent grade pay as revised from time to time) as specified in schedule-1, for different departments, attached offices of the secretariat of the State Government, Regional offices as per section 5 of the Act."

4. Substitution of Rule 7 of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003- Rule 7 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following, namely :-

   "7 Functions and Responsibilities of the Members of the Commission- The Chairman of the Commission may entrust the responsibilities of the Examination controller to any one of the members and the responsibilities of the Administrative section to any one from the other members."

5. Substitution of Rule 9(1) & (2) of the Bihar Staff Selection commission rules, 2003- Rule 9 (1) & (2) of the said Rules shall be substituted by the following respectively, namely :-

   "9 (1) Financial Powers- (1) Within the budget allocation, the Commission shall have to the power of the Departmental of purchases, to execute contract and to sanction to any other expenditure for office administration, except purchase of a motor vehicle and computer exceeding Rs one Lakh.

   Provided that the Commission shall have the full power to execute, Purchase, contract and to sanction any other expenditure for conducting the examination. For the contingent expenses, the chairman shall have the power under rule 110 (2) of Bihar Financial Rules.

(2) The Commission shall have power to sanction advance and draw of money from treasury for more than Rs. One lakh (1,00,000/-) for conducting of examination as per the terms and conditions laid down in Rule 300 of Bihar Treasury Code. The Chairman of the Commission shall have this power up to Rs. One lakh. In cases related to purchase, advance money shall be drawn from treasury only when there is such condition in the approved tender."

6. Substitution of Rule 10 of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003- Rule 10 of the said Rules shall be substituted by the following, namely:-

"(10) The procedure for sanction of leave to the Chairman and the members of the Commission shall be the same as applicable to the officers of the equivalent rank. In the absence of the Chairman on account of leave or otherwise, the member of Commission occupied the responsibilities of the Administrative section shall hold the charge of the administrative works of the Chairman."

7 Substitution of Note to Schedule-1 of the Bihar Staff Selection Commission rules, 2003- Note to Schedule-1 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following, namely:-

"Note- All other posts of Secretariat and Class-3 of mufassil level in the grade-pay below 4800/- (Rs. Four thousand eight hundred) grade pay shall be deemed to be included in this schedule."

By order of the Governor of Bihar

19.12.11

Joint Secretary to Government.

Memo no:- S.S.C.-06/2011/13473/ dated 12.12.11

Copy forwarded to the superintendent, Government press, Guljarbagh, patna for publication in extraordinary issue of the Gazette and for sending 500 copies to the General Administration
Department.

19.12.11

Joint Secretary to Government.

Memo no:- S.S.C.-06/2011/13473/ dated 12.12.11

Copy to Accountant General, Bihar, Patna/ Secretary, Bihar public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/ Member Secretary, State Commission For Backward Classes, Bihar, Patna/ Secretary, State Commission For Most Backward Classes, Bihar, Patna/ Secretary, State Mahadalit Commission, Bihar, Patna/ Secretary, State

Shedule Caste Shedule Tribe, Commission, Bihar, Patna/ Secretary, State Commission For Uper Castes, Bihar, Patna/ All Departments/ All Head of the Departments/ All Divisional commissioners/ All District Magistrates/ Deputy Secretary, Chief Minister Secretariat/ Secretary, Bihar Legislative Assembly Secretariat, Patna/ Secretary, Bihar Legislative Council Secretariat, Patna/ Vice Chancellor of All Universities for information and necessary action.

It is request to all Departments/ Head of the Departments that immediate inform to their all Subordinate offices/ Local Boards/ Corporations/ Public Enterprises.

19.12.19

Joint Secretary to Government.